श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा

रजिस्ट्रेशन नं0 409/1919–20 दिनांक 11.03.1920

का

दिनांक 22.04.2013 के अधिवेशन में

<u>यथासंशोधित संविधान व नियमावली</u>

प्रस्तुतिः- श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा

श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा का संविधान व नियमावली

दि. 22.04.2013 के अधिवेशन में सर्व सम्मति से पारित

प्रस्तुतकर्ता

श्री प्रभात कुमार चतुर्वेदी (संयोजक) **श्री मुनीन्द्रनाथ चतुर्वेदी (सदस्य)**

डा. प्रदीप चतुर्वेदी (मंत्री महासभा) **श्री धीरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी (सदस्य)**

1. संस्था का नामः– यह संस्था श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा कहलायेगी। इस आलेख मे ं आगे इसे महासभा के नाम से जाना जायेगा।
2. संस्था का कार्यालयः–स्थायी व्यवस्था होने तक इस संस्था का कार्यालय सभापति एव ं मंत्री की सुविधानुसार सभापति जी द्वारा निश्चित किया जायेगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्रः– वह सभी स्थान जहाँ माथुर चतुर्वेदी रह रह` है।
4. महासभा की सदस्यताः–महासभा के सदस्य केवल माथुर चतुर्वेदी ही हा` सकेगे, जो महासभा के संविधान मे ं विश्वास एव ं तत् निहित नियमों के पालन में तत्पर हों।
5. महासभा के उद्देश्य और उसके साधनः–

1) माथुर चतुर्वेदी जाति की आध्यात्मिक, नैतिक सामाजिक, आर्थिक, मानसिक एवं सर्वागीण उन्नति करना प्रधानतः। 2) माथुर चतुर्वेदी जाति मे ं यथावश्यक धर्मानुसार विज्ञान, कला, कौशल, वदे –वेदांग एव ं अन्य सत् साहित्य का प्रचार प्रधानतः संस्कृत तथा हिन्दी भाषा मे।ं

3) माथुर चतुर्वेदी जाति में धार्मिक, आध्यात्मिक, तकनीकी एवं अन्य उपयोगी शिक्षा का प्रसार और समयानुकूल लाभदायक जातीय सुधार, जो श्रुति ओर स्मृति के विरूद्ध न हो।

4) उपयागे ी संस्थाओं का स्थापन अन्य स्थापित संस्थाओ ं का पोषण।

5) छात्रवृत्ति, आर्थिक सेवा सहायता तथा अन्य उचित प्रकार से जाति के शिक्षार्थी अथवा प्रार्थी व्यक्यिो ं की आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता।

6) स्थानीय एवं / अथवा क्षत्रे ीय माथुर चतुर्वेदी सभा एव ं संस्थाओ ं का स्थापन एव ं उनसे सहयोग।

7) प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक संगठन भावना को परिपुष्ट करत` हुए चारित्रिक व नते ृत्व सम्बन्धी विकास का निष्ठापूर्वक प्रयास। प्राचीन अथवा नई उन्नतशील सामाजिक स्वस्थ परम्पराओं का प्रचार एवं प्रसार।

8) महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि भवन, विद्यालय, धर्मशाला, पुस्तकालय, अस्पताल, सभागृह आदि के क्रय, निर्माण एवं सम्पत्ति को किराये पर लेना देना।

9) जाति बान्धवों या बहिनों द्वारा अपने किसी स्वजन की स्मृति में कोई न्यास या कोष स्थापित करने की स्थिति में उस न्यास के संचालन हेतु उनकी ट्रस्टीशिप महासभा के सभापति एवं मंत्री के माध्यम से स्वीकार करना तथा एवं दानदाता के निर्देशानुसार उसे समाज हित मे ं व्यय करना।

10) सामाजिक उत्थान के साथ – साथ राष्ट्रीय एकता एवं दश्े ा सेवा की भावना का प्रचार प्रसार एवं अन्य संगठनों से इस संदर्भ मे ं सहयागे जिससे राष्ट्र को सबल, सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया जा सके।ं

11) माथुर चतुर्वेदी जाति का` अधिक से अधिक महासभा से जोड़कर महासभा को व्यापक एव ं सर्वग्राही बनाना।

12) माथुर चतुर्वेदी जाति की रक्त शुद्धता के प्रति सजगता एव ं तत्सम्बन्धी सतत् प्रयास करना।

13) माथुर चतुर्वेदी जाति की विशेष पहचान उनकी परम्परा, संस्कार, लाके गीत, पर्व, तीज, त्यौहार, भाषा, साहित्य को सहजे ना एवं उनका प्रचार एवं प्रसार करना जिससे जातीय आकर्षण बना रहे तथा अपनी जडो ं से जुडे रहें।

14) माथुर चतुर्वेदी जाति के सामाजिक क्रिया कलापों, विचारों, परम्पराओ, रीति – रिवाजों आदि का` सामाजिक सम्पर्क बढ़ाते हुए समाज के मुखपत्र में प्रकाशित कर उनका प्रचार प्रसार करना।

15) माथुर चतुर्वेदी जाति के युवाओ ं एव ं महिलाओ ं का सर्वांगीण विकास। खले , कूद, सास्ं कृतिक कार्यक्रम, गायन, नृत्य आदि एव ं प्रतियोगिताओं का आयाजे न कर करना।

16) विदशे ाों में रह रह` माथुर चतुर्वेदियों का` महासभा का सदस्य बनाकर जाडे ़ना एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।

17) विभिन्न क्षत्रे ों मे ं विशिष्टता प्राप्त माथुर चतुर्वेदियो ं को सम्मानित करना जिससे समाज को प्रेरणा प्राप्त हो।

18) मेघावी छात्र/छात्राओं को सम्मानित करना।

6. महासभा का संगठनः– श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के सभापति कार्यकारिणी समिति की सलाह और सहयोग से महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठन का संचालन करेगें। इस संगठन में मात्र श्री माथुर चतुर्वेदी सदस्य होगें जो महासभा के उद्देश्यों में आस्था रखते है और संविधान में विश्वास एव ं तत् निहित नियमों के पालन करन` को तत्पर हो।

6 (अ) संरक्षक मण्डलः–

1) महासभा के समस्त जीवित पूर्व सभापति महासभा के संरक्षक मण्डल के सदस्य होगे।

2) समाज मे ं अपने प्रभाव, महत्ता, उच्च एवं विशिष्ट सम्मानीय पद, समाज हित में किये गये विशिष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के फलस्वरूप उपयुक्त समझे जाने वाले अधिकतम पॉच महानुभावो ं को सभापति संरक्षक मण्डल का सदस्य मनोनीत कर उनके नामों की घोषणा कार्यकारिणी सदस्यों के नामों की घोषणा के साथ करेगें। संरक्षक मण्डल के सदस्यों का कार्यकाल एक सत्र होगा। कार्यकारिणी समिति की प्रत्येक बैठक मे ं इन्ह` आमंत्रित किया जावेगा एवं व` सक्रिय रूप से बैठकों मे ं भूमिका अदा करेगें। संरक्षक मण्डल के महासभा की कार्यकारिणी की बैठक मे ं उपस्थित सदस्यों का` कार्यकारिणी के सदस्यो ं की भॉति मत विभाजन की स्थिति में मत देने का अधिकार होगा। 6 (ब) संरक्षक मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1) महासभा संगठन को मजबूत एव ं सर्वग्राही बनान` के लिए समाज मे ं महासभा के उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करना।

2) कार्यकारिणी को नीति निर्धारण में सहयोग करना।

3) माथुर चतुर्वेदी समाज के हित मे ं काइे ं विचार, चिन्तन, शिकायत आदि प्राप्त होने पर कार्यकारिणी समिति की बैठक मे ं अथवा सभापति एव ं मंत्री के संज्ञान मे ं लाकर उस पर आवश्यक कार्यवाही कराना।

4) यदि कार्यकारिणी समिति के 2/3 से अधिक सदस्य सभापति के कार्यकलाप, नीति, सामाजिक प्रवाह से सहमत न हो और स्वहस्ताक्षरित लिखित आवदे न पत्र संरक्षक मण्डल को दे तो उस पर विचार कर अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर संरक्षक मण्डल महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर सभापति पर अभियोग प्रस्ताव रखेंगे ं तथा इस विषय पर विशेष अधिवशे ान का निर्णय सभी को मान्य होगा।

5) महाअभियोग के निर्णय पर आरोपं ो ं की पुष्टि के बाद सभापति पदमुक्त हो जावेगे।

7. महासभा की सदस्यता के प्रकार व शुल्कः– महासभा में निम्न तीन प्रकार के सदस्य होगे।

1) कुल क्रमागत सदस्यता – जो सज्जन महासभा को कुल क्रमागत सदस्यता ग्रहण करन` हते ु एक मुश्त रू0 पॉच हजार एक (5001/–) प्रदान करेगा, वह कुल क्रमागत सदस्य होगा। कुल क्रमागत सदस्य की मृत्यु के पश्चात् अथवा

किसी अन्य कारण से सदस्य न रहने के कारण उसके द्वारा नामित या महासभा द्वारा मान्य किये व्यक्ति का` कुल क्रमागत सदस्यता प्रदान की जायेगी और उसका स्वत्व भी मूल सदस्य के समान होगा।

2) आजीवन सदस्यता:– जो सज्जन महासभा को आजीवन सदस्यता ग्रहण करने हेतु एक मुश्त रूपये 501/– (पाँच सौ एक रूपये) प्रदान करेगा व` अपन`जीवन पर्यन्त महासभा के सदस्य होगे।

3) साधारण (सत्र) सदस्यता:– जो सज्जन महासभा को साधारण (सत्र) सदस्यता ग्रहण करन` हेतु एक मुश्त रूपये 101/– (एक सौ एक रूपये) प्रदान करेगा वह एक सत्र के लिये महासभा का साधारण (सत्र) सदस्य होगा। टिप्पणीः–

(अ) इस संशाध्े ान के पवू ्ं जिस सदस्य की जो स्थिति है। वह यथावत रहेगी।

(ब) कार्यकारिणी समिति समय – समय पर बैठक मे ं सदस्यता शुल्क निर्धारण पर अपना निर्णय ले सकेगी।

8. महासभा की सदस्यता के नियम:– क) 18 वर्ष से अधिक की उम्र का व्यक्ति ही महासभा का सदस्य बन सकेगा।

ख) जो सज्जन महासभा के सदस्य होना चाह` उन्हे एक आवेदन पत्र निश्चित शुल्क के साथ मंत्री के पास या कार्यालय मे ं भजे ना होगा और कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति के बाद सदस्य माना जायेगा।

एसे` सदस्यों की सूची मंत्री आगामी कार्यकारिणी या कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत समिति के सामने प्रस्तुत करेगा और उनकी स्वीकृति के बाद ही व` सभासद माने जायेगे। सब प्रकार के सदस्य स्वीकृत करन` न करन` का अधिकार महासभा / कार्यकारिणी समिति का` होगा। ग) महासभा के संगठन सम्बन्धी नियम जो समय – समय पर निश्चित हों, समस्त सदस्यों को मान्य होगे। चाह` व` नियमो ं के प्रभावी होन` के पूर्व ही सदस्य हो चुके हों।

घ) प्रत्यके सदस्य को मत (वोट) देन` का अधिकार होगा, परन्तु किसी सदस्य का` अपन` दिये हुए द्रव्य का` फिरती मांगन` का अधिकार नही ं होगा।

8 (क) महासभा की सदस्यता की अपात्रता:– निम्नलिखित व्यक्ति महासभा के सदस्य न बन सकेगे ं और / यान रह सकेगे। इसका निर्णय कार्यकारिणी करेगी।

1) जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हा`।

2) जो प्रत्यक्ष रूप से पागल दिखाई पड़ता हो।

3) जिसका आचरण सदाचार के विरूद्ध हो।

4) जो नियमानुसार चंदा न दें।

5) जो सदस्य ऐसा निन्दनीय कार्य करे ं जिससे समाज अथवा महासभा की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचे।

6) जो सदस्य नियमावली में आस्था न रखता हो।

7) यदि महासभा के किसी निर्णय से कोई सदस्य सहमत न हो तो वह अपना प्रतिवेदन मंत्री को देगा। जिसे मंत्री कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक मे ं प्रस्तुत करेगें। कार्यकारिणी समिति का निर्णय अन्तिम एव ंआवदे क को मानना बाध्यकारी होगा। इसके बाद भी वह यदि असहमत हाके र अन्य मंच की शरण मे ं जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जावेगी और वह महासभा की सदस्यता हते ु अपात्र होगा। 8) विजातीय विवाह करन` वाला व्यक्ति।

9. महासभा का सत्र:– महासभा का सत्र एक सभापति के शपथ ग्रहण करने की तारीख से उसके तत्काल बाद दसू र` सभापति के शपथ ग्रहण करन` की तारीख तक होगा। जा` साधारणतः 3 वर्ष का होगा। 10. महासभा के पदाधिकारी:– महासभा के निम्नलिखित पदाधिकारी होगे।

1. सभापति– 1	2. उपसभापति– 4	3. मंत्री– 1
4. सहमत्रं ी– 4	5. कोषाध्यक्ष– 1	

मंत्री या एक सहमत्रं ी का चयन नव निर्वाचित सभापति के नगर से होगा। महासभा मे ं समस्त नामित व्यक्ति अवैतनिक होगे ं।

11.महासभा का चुनावः–

11(1). महासभा में केवल सभापति पद का चुनाव होगा।

11(2). सदस्यता सूची (मतदाता सूची):– अ) सभापति के कार्यकाल के 30 माह समाप्त होते ही मंत्री महासभा के मुखपत्र मे ं 2 माह का समय दते े हुए सभी श्रेणियो ं की सदस्यता ग्रहण करने का अन्तिम दिनाकं सूचित करेगे ं। अन्तिम दिनाकं का े सदस्यता रजिस्टर बन्द कर दिया जायेगा और चाल ू सत्र के लिये काइे र्भी नया सदस्य नहीं बनाया जा सकेगा। मंत्री श्रेणीवार सदस्यता रजिस्टर बनावेगे ं। ब) मंत्री जो स्वयं महासभा के मुखपत्र का प्रकाशक है इस सम्पूर्ण सदस्यता सूची को महासभा के मुखपत्र अथवा वेव साइट अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रकाशित कर निर्धारित अवधि में सदस्यों से संशोधन आमंत्रित करेगा। कार्यकारिणी सदस्यों का भी दायित्व होगा कि वह इस सदस्यता सूची की भली भॉति जॉच कर निर्धारित अवधि मे ं मंत्री को अपनी रिपोर्ट दें। प्राप्त उचित संशोधनो ं को ठीक कर एक माह पश्चात मंत्री सूची कार्यकारिणी सदस्यों, महासभा की वेवसाइट

एव ं महासभा कार्यालय को उपलब्ध करावेगे ं। स) संशोधन पश्चात तैयार सदस्यता सूची अन्तिम रूप से निर्वाचक नामावली मतदाता सूची होगी। इसी अन्तिम मतदाता सूची के अनुसार चुनाव समिति मतदान करायेगी।

11(3). चुनाव समितिः–चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने हेतु कार्यकारिणी समिति एक पॉच सदस्यीय चुनाव समिति का गठन करेगी। जिसके सदस्य 1. वर्तमान सभापति 2. वर्तमान मंत्री 3. एक कार्यकारिणी सदस्य 4. एक संरक्षक 5. एक कार्यकारिणी के बाहर से महासभा का सदस्य। क्रम संख्या पॉच एक कार्यकारिणी के बाहर से महासभा का सदस्य चुनाव अधिकारी होगा। अ) आवश्यक्तानुसार कार्यकारिणी समिति पुनः नयी चुनाव समिति का गठन कर सकेगी। ब) चुनाव समिति में ऐसा कोई सदस्य न होगा जा े स्वयं प्रत्याशी हो। स) चुनाव का समस्त प्रबन्धन (नियम, उप नियम व कार्यवाही) चुनाव समिति सम्पूर्ण रूपेण व्यवस्था कर अनुष्ठित करेगी। चुनाव का े निष्पक्ष एव ं पारदर्शी सम्पन्न कराने हेतु शर्तों, नियमो ं एवं प्रक्रिया में परिस्थिति अनुसार संशाधे ान करने का अधिकार चुनाव समिति का े होगा। द) यदि चुनाव के सम्बन्ध मे ं कुछ भी प्रिय / अप्रिय प्रश्न / विवाद उठें तो उसका निपटारा चुनाव समिति करेगी और इन सब सम्बन्धों में चुनाव समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

य) समस्त चुनावी प्रक्रिया महासभा के कार्यालय मे ं होगी।

11 (4). सभापति पद की आर्हतायेंः–

1) कम से कम विगत दस वर्षो से महासभा का कुल क्रमागत अथवा आजीवन सदस्य हो या / और महासभा से सम्बद्ध शाखा सभा मे ं कम से कम 3 वर्षो तक निरतं र कार्यकारिणी सदस्य/पदाधिकारी रहा हो या / और महासभा की कार्यकारिणी मे ं कम से कम पूर े 1 सत्र तक सदस्य / पदाधिकारी रहा हो।

2) महासभा का आजीवन / कुल क्रमागत सदस्य हा े।

3) विजातीय विवाह करन े वाला व्यक्ति सभापति पद का प्रत्याशी न हो सकेगा।

4) जो व्यक्ति किसी अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से दोषी सिद्ध होकर सजा प्राप्त हा े वह सभापति पद का प्रत्याशी न हा े सकेगा।

11(5). चुनाव प्रक्रियाः– चुनाव समिति सम्यक विचारोपरान्त निर्वाचन की घाषेणा करेगी तथा चुनावी कार्यक्रम स्वततं्र रूप से एवं महासभा के मुखपत्र के माध्यम से प्रचारित करेगी। चुनाव कार्यक्रम में 1. नामांकन पत्र प्राप्त करने एवं जमा करन े की अन्तिम तारीख। 2. नामाकं न पत्र की जॉच की तारीख। 3. नाम वापसी की तारीख। 4. भारतीय डाक द्वारा मत पत्र

भेजने की तारीखें। 5. चुनाव समिति के कार्यालय मे ं मतपत्र प्राप्त हाने े की अन्तिम तारीख। 6. मतगणना की तारीख। 7. परिणाम घोषणा की तारीख। एवं 8. अन्य आवश्यक जानकारी सम्मलित होगी।

11 (5–अ). नामांकनः–

1) नामाकं न पत्र में प्रत्याशी की सदस्यता क्रमांक, नाम, पिता का नाम, पता एवं स्वहस्ताक्षरित सहमति की घोषणा के साथ दो सदस्यो ं का प्रस्तावक के रूप में एवं दो सदस्यों का अनुमादे क के रूप में स्वहस्ताक्षरित उल्लेख महासभा सदस्यता सूची में उनके सदस्यता क्रमांक सहित अनिवार्य होगा।

2) एक सदस्य एक से अधिक बार प्रस्तावक अथवा अनुमादे क न हा े सकेगा।

3) प्रत्याक्षी को नामांकन पत्र दाखिल करते समय बिन्दु सं. 8 (क) व 11 (4) में दी आर्हताओ ं पर अपना घाेषणा पत्र दने ा होगा।

11 (6) मतपत्र– नामाकं न पत्रों की जॉच या नाम वापिसी के उपरान्तः– अ) एक ही वैध नामाकं न पत्र शेष रह जाता है तो वह प्रत्याशी बिना चुनाव प्रक्रिया के निर्विरोध चुन लिया जावेगा। ब) यदि एक से अधिक प्रत्याशी रह जात े है तो चुनाव समिति ऐसे प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित कर उनके सदस्यता क्रमांक अंकित करत े हुये मत पत्र तैयार करावेगी। स) नामाकं न पत्रों की जॉच के बाद सात दिनो ं मे ं यदि प्रत्याशी अपना घोषणा पत्र अधिकतम एक पृष्ठ में चुनाव समिति को देता है ता े महासभा उन्हे अपने मुखपत्र मे ं प्रकाशित करेगी। द) चुनाव समिति स्वःविवके से निर्णय लेकर मत पत्र भारतीय डाक की रजिस्टर्ड डाक सेवा अथवा समतुल्य भारतीय डाक सेवा से सदस्यों को भेजेगी। मतपत्र डाक द्वारा भेजन े की तारीखों को प्रत्याशी अथवा उसका एक प्रतिनिधि प्रक्रिया को दखे ाने हेतु चुनाव कार्यालय मे ं उपस्थित रह सकेगा। कोई छूट / त्रुटि पाये जाने पर वह चुनाव समिति का इस ओर

ध्यानाकर्षण कर सकेगा। उसकी शिकायत का निस्तारण चुनाव समिति का उत्तरदायित्व होगा।

य) मतपत्र प्राप्त हाने े के अन्तिम दिनांक एव ं समय के उपरान्त प्राप्त मतपत्र सील बन्द लिफाफा पैकिट मे ं अलग से रखे जायेगे। र) भारतीय डाक द्वारा प्राप्त मतपत्र मत पेंटिका मे ं डाले जावेगे ं तथा अन्तिम दिनाकं एवं समय पर मत पेंटिका बन्द कर दी जावेगी। बिन्दु य एवं र की प्रक्रिया के समय भी प्रत्याशी / उसका अधिकृत एक प्रतिनिधि मौजूद रह सकेगा। ल) मतदाता डाक द्वारा प्राप्त मतपत्र में अपने मन चाह े प्रत्याशी के नाम के सामन े सही का निशान लगाकर अपना मत दगे ा। व) मतदाता अपना मत स्व व्यय से भारतीय डाक द्वारा सूचना मे ं इंगित पत े पर प्रेषित करगे ा।

स) एक लिफाफे मे ं केवल एक ही मतपत्र भेजा जा सकेगा तथा एक से अधिक लिफाफे भी एक लिफाफे मे ं रखकर न भेजे जा सकेगे।

श) मत पेंटिका की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव समिति की होगी।सील बन्द मत पेंटिका चुनाव कार्यालय में ही रहेगी।

11 (7) मतगणनाः– महासभा कार्यालय में निर्धारित तारीख व समय पर मतगणना का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा। इस प्रक्रिया को देखने हेतु प्रत्याशी / एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगा। मतगणना में कुल प्राप्त मतपत्र, अवैध मतपत्र, कुल गिने गये मतपत्र का विवरण रखा जायेगा तथा जा े व्यक्ति सर्वाधिक वैध मत प्राप्त करता है वह विजयी घोषित होगा।

11 (8) परिणाम की घाेषणाः– चुनाव कार्यक्रम के अनुसार परिणाम की घोषणा के दिनांक एवं स्थान पर महासभा की कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की जावेगी जा े वर्तमान सभापति के कार्यकाल की अंतिम बैठक होगी। बैठक मे ं चुनाव परिणाम की घोषणा की जावेगी।

चुनाव अधिकारी महासभा के सभापति एव ं मंत्री को चुनाव परिणाम देगा जिसमे ं प्रत्यके प्रत्याषी के पक्ष मे ं प्राप्त वैध मत पत्रो ं का उल्लेख हागे ा। सभापति कार्यकारिणी की बैठक मे ं चुनाव परिणाम की घोषणा करेगा। उसी समय

सभापति एवं सरक्षक नव निर्वाचित सभापति का` सभापति पद की शपथ ग्रहण करावेगा। इसी के साथ ही पुरानी कार्यकारिणी समिति निष्प्रभावी हा` जावेगी।

नव निर्वाचित सभापति दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन हेतु एक 5 सदस्यीय कार्यवाहक सलाहकार मण्डल का गठन करेगा। जिसके सदस्य 1. नव निर्वाचित सभापति। 2. निवर्तमान मंत्री। 3. निवर्तमान कोषाध्यक्ष। 4 एव ं 5 नव निर्वाचित सभापति द्वारा मनाने ीत व्यक्ति होगें। सलाहकार मण्डल का कार्यकाल अधिकतम 6 माह होगा तथा उसे केवल महासभा के अस्थायी काशे से धन व्यय करन` का अधिकार होगा। 6 माह की अवधि मे ं ही महासभा का अधिवेषन कराना एव ं चार्ज प्राप्त करना आवश्यक होगा। अधिवेशन मे ं नव निर्वाचित सभापति अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करेगे। इसी के साथ कार्यवाहक सलाहकार मण्डल निष्प्रभावी हा` जावेगा।

11 <u>(9) चुनाव स्थगनः–</u> चुनाव समिति देश मे ं आये किसी गंभीर संकट, प्राकृतिक आपदा, भारतीय डाक की हड़ताल, किसी प्रत्याशी की निर्वाचन प्रक्रिया मे ं मृत्यु हो जाने पर अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से जिससे सामान्य ढ़ंग से चुनाव कराना संभव न हो चुनाव को स्थगित कर नई चुनाव की तारीखो ं की पुनः घोषणा कर सकेगी।

12. <u>कार्यकारिणी समितिः–</u> महासभा के कार्यकलापो ं के संचालन हते ु सभापति के अतिरिक्त पचास (50) सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन सभापति जी स्वयं स्व विवेक से निम्न प्रतिबन्धो ं के आधीन कर सकेगें। जिसमें पदाधिकारी भी सम्मलित होगे। कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एव ं सदस्यो ं के नामों की घोषणा सभापति जी महासभा के अधिवेशन मे ं करेगें जिसे महासभा के मुखपत्र के आगामी अंक मे ं प्रकाशित करेगे।

12 <u>(1) प्रतिबन्धः–</u> अ) माथुर चतुर्वेदी समाज की बसावट के प्रमुख क्षत्रे ों का` प्रतिनिधित्व मिल जाय। ब) कार्यकारिणी समिति में महिलाओं एवं युवाओ ं को सामाजिक कार्यो में भागीदारी लेन` हेतु उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय। स) जिसन` स्वयं विजातीय विवाह किया हा` वह कार्यकारिणी समिति में सम्मलित न किया जाय। द) महासभा का सदस्य ही कार्यकारिणी समिति अथवा कार्यसंचालन हते ु बनाये गये प्रकोष्ठ / समिति / अमंत्रित सदस्य / सलाहकार मण्डल / संरक्षक मण्डल आदि का सदस्य या पदाधिकारी हा` सकेगा। 12 <u>(2) कार्यकारिणी समिति के नियमः–</u>

1) कार्यकारिणी समिति अपन` कार्य संचालन के लिए नियम उपनियम बना सकेगी।

2) कार्यकारिणी समिति वार्षि क बजट के अनुसार व्यय तथा महासभा अधिकृत सम्पत्ति का प्रबन्ध और महासभा द्वारा अधिकृत किये अन्य कार्य सम्पादित करेगी।

3) नियमानुसार कार्यकारिणी समिति आर्थिक वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) का आय व्यय विवरण एव ं चिठ्ठा बनाकर उसका लेखा परीक्षण, चार्टर्ड एकाउन्टैण्ट से करवाकर आर्थिक वर्ष समाप्ति के 6 माह के अन्दर महासभा के मुखपत्र मे ं प्रकाशित करेगी। चार्टर्ड एकाउन्टैण्ट की नियुक्ति एव ं / अथवा पुष्टि महासभा के अधिवशे ान में की जायेगी। कार्यकारिणी समिति वर्ष प्रारम्भ होन` से पूर्व आगामी वर्ष के लिए अपना वार्षिक बजट बनायेगी। जिसमे ं मासिक सेवा सहायता (छात्रवृत्ति, महिला एव ं अन्य सहायता) कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय के साधारण खर्च पत्रिका प्रकाशन एव ं महासभा के अन्य कार्यक्रमो ं के आय एवं व्यय का निर्धारण होगा। ये सभी व्ययउसे महासभा के अस्थाई कोष में से करन ` होगें।

4) कार्यकारिणी समिति को विशेष आवश्यक्ता उपस्थित होने पर यह भी अधिकार होगा कि महासभा की पूर्व स्वीकृति के अभाव में महासभा के अस्थाई कोष से मासिक छात्रवृत्ति महिला तथा अनाथ सहायता आदि के अतिरिक्त 50,000/– रू0 प्रतिवर्ष तक व्यय कर ल` और उसकी कार्योपरान्त स्वीकृति महासभा से करा लें।

5) कार्यकारिणी समिति की बैठक साधारणतया तीन मास में कम से कम एक बार होनी चाहिए। विशेष आवश्यक्ता हाने` पर उससे पहले भी बैठक की जा सकती है। प्रत्येक बैठक की सूचना 21 दिन पूर्व सदस्यों को देना आवश्यक है।

6) कार्यकारिणी समिति की बैठक मे ं पदाधिकारियो ं सहित कम से कम 17 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। कार्यकारिणी की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित हा े जान े के पश्चात आधा घण्टा बाद पुनः की जा सकती है जिसके लिए 11 सदस्यो ं की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा सदस्यो ं को पुनः सूचना देने की अनिवार्यता न होगी।

7) कार्यकारिणी समिति की बैठक सभापति की सहमति से आमंत्रण प्राप्त होने के स्थान पर या उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर होगी।

8) कार्यकारिणी की बैठक का समय और तिथि सभापति की अनुमति से मंत्री तय करेगा किन्तु कार्यकारिणी के कम से कम एक तिहाई सदस्य बैठक करवाना चाहे ता े उनके हस्ताक्षरों से युक्त कम से कम 60 दिन पूर्व सूचना प्राप्त हाने े पर सभापति विशेष बैठक आयोजित करेगे।

9) महासभा के सभापति पद के चुनाव कार्यक्रम मे ं घा ेषित चुनाव परिणाम की घोषणा के दिनाकं एव ं स्थान पर कार्यकारणी समिति की बैठक की जावेगी।

10) जिस स्थान पर महासभा का अधिवशे ान हो उस स्थान पर आवश्यक्ता होने पर नई कार्यकारिणी समिति की बैठक हो सकेगी। इस बैठक की पृथक सूचना सदस्यो ं को देना आवश्यक न होगा तथा कारे म की भी बाध्यता न होगी।

11) कार्यकारिणी समिति में प्रतिनिधि रूप से किसी की उपस्थिति नही मानी जायेगी। सदस्यों की लिखित सम्मति भी वोट (मत) की संख्या में सम्मलित न होगी। केवल उपस्थित सदस्य ही उपयुक्त विचार कर निर्णय लेगे।

12) कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि विशेष कार्यो के लिए अपने सदस्यों को लेकर विशेष उपसमितियॉ बना दवे े।

13) महासभा द्वारा पास किय े गये प्रस्तावो ं को कार्यरूप मे ं परिणत करन े का प्रयत्न करना कार्यकारिणी समिति का आवश्यक कर्तव्य होगा।

14) यदि समिति का काइे र् सदस्य स्वीकृत प्रस्तावों के विरूद्ध आन्दोलन या आचरण करे तो कार्यकारिणी समिति को अधिकार होगा कि वह बहुमत के आधार पर उसके पद का े शनू्य समझे और उस पद की पूर्ति कर ले।

15) पर्याप्त कारणे ं के अभाव मे ं यदि कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य लगातार तीन बैठका े मे ं उपस्थित न हा े तो समिति उसके स्थान की पूर्ति का स्वयं प्रबन्ध कर सकेगी।

16) कार्यकारिणीसमिति की बैठक मे ं सभापति चाहे तो किसी महानुभाव को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकते है। आमंत्रित महानुभाव बैठक मे ं वादविवाद मे ं भाग ले सकते है। लेकिन मतदान की स्थिति उत्पन्न होने पर मत नहीं दे सकेगे।

17) यदि कोई पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य अपने कार्यकाल की अवधि के भीतर ही अपना त्याग पत्र द े द े तो उसे कार्यकारिणी समिति की बैठक के समक्ष रखकर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा तथा त्याग पत्र स्वीकार होने पर सभापति उसके रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकेगे। सभापति तथा मंत्री का स्थान अकस्मात रिक्त हो जान े पर कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार कोई एक उप सभापति सभापति के रूप में और एक सहमत्रं ी मंत्री के रूप में कार्य करेगें और उन्हे निर्वाचित सभापति / मंत्री के अधिकार एव ं दायित्व प्राप्त हागे े।

18) सभापति कार्य संचालन हेतु जिन्ह े भी नामित करेगा यथा कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक मण्डल, विभिन्न प्रकोष्ठ के सदस्य, आमंत्रित सदस्य आदि उन्ह े यदि वे किसी भी कारण से पद मुक्त करना चाहे तो उन्ह े कार्यकारिणी की बैठक मे ं प्रस्ताव रखकर बहुमत से निर्णय प्राप्त करना होगा तथा उनके निस्काषन का अधिकार सभापति को होगा।

19) सभापति द्वारा मनाने ीत उपसमितियों, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अथवा सदस्य कार्यकारिणी की बैठक में सभापति द्वारा अमंत्रित किये जाने पर ही भाग ले सकेगें।

20) कार्यकारिणी समिति की बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों एव ं बैठक में उपस्थित संरक्षकगण ही मत विभाजन की स्थिति मे ं मत द े सकेगे।

13. महासभा का मुखपत्रः–

1) कार्यकारिणी समाज के मुखपत्र के रूप में एक पत्रिका का समय समय पर प्रकाशन करेगी। इसके सम्पादन हेतु सुयाेग्य सम्पादक / संपादकों की नियुक्ति करेगी। सभापति इसके संरक्षक एवं मंत्री इसके प्रकाशक होगे। प्रकाशक एवं सम्पादक/ सम्पादक गण एक व्यवस्थापक तथा सह – सम्पादक आदि सहायकों का े सभापति की पूर्व स्वीकृति से रख सकेगे। पत्रिका के सम्पादक को कार्यकारिणी समिति की बैठक मे ं आमंत्रित किया जावेगा।

2) पत्रिका कार्यकारिणी के नियमो ं का प्रचार करते हुए सामाजिक समाचारों को प्राथमिकता देगी। किसी विवादास्पद स्थिति के उत्पन्न हाने े पर उत्तरदायित्व सम्बन्धित सम्पादक एवं प्रकाशक का संयुक्त माना जायेगा।

3) सम्पादक समाचार, लेख, कविता एवं अन्य साहित्यिक सामग्री का महासभा की नीतियो ं के अनुरूप सम्पादन करेगे। विवादास्पद विषयों का सम्पादन / प्रकाशन महासभा के सभापति की पवू र्ानुमति लेकर होगा।

4) पत्रिका के प्रकाशन का दायित्व प्रकाशक का होगा। व े अर्थव्यवस्था, प्रसे व्यवस्था, वितरण व्यवस्था, पत्रिका की सदस्यता सूची इत्यादि के लिए उत्तरदायी होगे। अर्थव्यवस्था हेतु विज्ञापन की दर तथा सदस्यता की दर इत्यादि प्रकाशक के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति समय समय पर निर्धारित करेगी। जमा धनराशि से प्राप्त व्याज भी पत्रिका खर्च के हेतु उपयोग में लाया जायेगा।

5) महासभा का सदस्य ही मुखपत्र का ग्राहक हो सकेगा। यथा महासभा का आजीवन सदस्य ही मुखपत्र का आजीवन सदस्य, यथा 5 वर्ष के लिये सींमित, हो सकेगा तथा महासभा का सत्र सदस्य पत्रिका का वार्षिक सदस्य हो सकेगा।

6) महासभा से सम्बद्ध शाखा सभाओं की बैठको एवं आयाजे नो के ही समाचार प्रकाशित किय े जावेगे। सामाजिक समाचारो ं से सम्बन्धित स्तम्भो ं पर सम्बद्धता का प्राविधान लागू न होगा।

7) पत्रिका को किसी भी मद मे ं प्राप्त धनराशि महासभा के कोष मे ं जमा की जावेगी। पत्रिका का अपना अलग से कोई खाता या कोष स्थापित नहीं किया जा सकेगा।

8) पत्रिका से सीध े या परोक्ष रूप से जुड़ े किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ न दिया जावेगा। यह निःशुल्क सामाजिक कार्य रहेगा, परन्तु यह नियम वते न पर रखे गये कर्मचारियो ं पर लागू न होगा। आवश्यक्तानुसार कार्यकारिणी की पवू र् स्वीकृति से किसी भी पद पर वेतन से कर्मचारियो ं को रखने का अधिकार सभापति का होगा। 9) प्रकाशक, सभापति अथवा कार्यकारिणी के निर्णयानुसार कुछ पत्रिकाये ं निःशुल्क वितरित कर सकेगे। जिनका मानक कार्यकारिणी समिति की बैठक मे ं निश्चित होगा।

10) पत्रिका मे ं प्रकाशित प्रत्येक विज्ञापन तथा सहायता मद मे ं प्राप्त धनराशि की रसीद संख्या आवश्यक रूप से साथ मे ंछापी जावेगी।

11) यदि महासभा कोई विशेष पुस्तक अथवा विषेशांक का प्रकाशन करना चाहती है तो उसे प्रस्ताव आय, व्यय के प्राकलन सहित कार्यकारिणी की बैठक मे ं प्रस्तुत कर स्वीकृत लने ी होगी। तदोपरान्त ही प्रकाशन होगा।

12) सलाहकार मण्डलः– मुखपत्र की नीति निर्धारण का दायित्व कार्यकारिणी समिति का होगा। सभापति, मंत्री एवं सम्पादक आपसी विचार विमर्श से पत्रिका का एक पॉच सदस्यीय सलाहकार मण्डल का गठन करेगा। इस मण्डल मे ं एक सदस्य पूर्व सम्पादक मण्डल मे ं से लिया जाना अनिवार्य होगा। सलाहकार मण्डल की वर्ष मे ं 2 बार बैठक सम्पादक एवं प्रकाशक की उपस्थिति मे ं सम्पादक एव ं प्रकाशक की सुविधानुसार तारीख एव ं स्थान पर सम्पादक द्वारा आयोजित की जावेगी। बैठको ं में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सम्पादक एवं प्रकाशक का उत्तरदायित्व होगा।

13) विषेशांकः— यदि कोई विषेशांक प्रकाशित किया जाता है तो उससे सम्बन्धित विषय के माथुर चतुर्वेदी समाज मे ं उपलब्ध विशेषज्ञ को सभापति एव ं मंत्री उस अकं के लिए अतिथि सम्पादक मनोनीत कर उनकी सेवाओं का लाभ ले सकेगे ।

14. शाखा सभाऐंः—

1) महासभा के पदाधिकारी और सदस्य भिन्न — भिन्न नगरों एव ं ग्रामों मे ं माथुर चतुर्वेदी सभाये ं स्थापित करन े का प्रयत्न करेगें। तथा उन स्थानों की पूर्व स्थापित माथुर चतुर्वेदी स्थानीय सभाओं का े महासभा की सदस्य सभाये ं बनायेगे ।

2) जो माथुर चतुर्वेदी सभाऐं विभिन्न नामों से स्थापति है या होगी उन्ह े श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा की कार्यकारिणी अपनी सदस्य सभा के रूप मे ं स्वीकार कर सकेगी। इसके लिए सदस्य सभाओं का रू0 251 / — प्रति सत्र शुल्क देना होगा तथा कार्यकारिणी के स्थानीय सदस्य ऐसा न होने पर क्षेत्रीय सदस्य की सम्पुष्टि के साथ आवेदन करना होगा।

3) इन सदस्य सभाओं को अपन े उद्‌देश्य और मूल नियम (वार्षिक चन्दा सम्बन्धी नियम छाडे ़ कर) महासभा के उद्‌दश्े य एव ं नियमो ं के अनुकूल ही रखन े होगे ।

4) सदस्य सभाऐं महासभा के स्वीकृत सामाजिक सुधारों एवं संशोधनो का प्रचार भ्रातृभावना में वृद्धि, पारम्परिक सद्‌भाव, सहयोग एव ं सहायता की भावना मे ं वृद्धि हेतु करेगी एव ं शिक्षा प्रचार आदि कार्यो मे ं महासभा की यथासंभव सहायता करेगी। महासभा से सम्बद्ध शाखा सभाओं के ही समाचार एव ं आयाजे नों का प्रकाशन महासभा के मुखपत्र में किया जा सकेगा।

5) महासभा सदस्य सभाओ ं के कार्यक्रमों में यथासंभव सहयोग अथवा सहायता प्रदान करेगे । सदस्य सभाऐं यथासंभव महासभा के कार्यक्रमों में अधिकाधिक सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगी।

6) जिन सदस्य सभाओ ं की कार्यवाही महासभा के प्रतिकूल प्रमाणित होगी अथवा जिनके कार्यकलाप महासभा के उद्‌देश्यो ं के विरूद्ध होगे ं उनसे सम्बन्ध रखन े के बारे में कार्यकारिणी को अपन े निर्णय पर पुनर्विचार का अधिकार होगा।

7) महासभा से सम्बद्ध शाखा सभाऐं महासभा के संविधान एवं कार्यकारिणी समिति के निर्णयों की सीमा मे ं रहकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निम्न पर निर्णय लेकर अपन े नियम बना सकेगी।

7—अ) माथुर चतुर्वेदी जाति की रक्त शुद्धता पर वचन बद्धता।

7—ब) शाखा सभा के सभापति का कार्यकाल, चुनाव प्रक्रिया, पदाधिकारियों एव ं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या

एव ं उनके कार्य विभाजन।

7—स) बैठकों एव ं कार्यक्रमो ं का आयाजे न।

8) महासभा की कार्यकारिणी समिति का सदस्य अपने नगर की सम्बद्ध शाखा सभा का विशेष आमंत्रित सदस्य होगा।

15. महासभा का अधिवश्े ानः—

स्थानीय सदस्य शाखा सभाऐं अथवा अन्य माथुर चतुर्वेदी सज्जन यदि अधिवेशन हते ु निमत्रं ण देगे ं ता ेनव निर्वाचित सभापति कोई विपरीत परिस्थिति न होन े पर उसे सादर स्वीकार करेगें एवं स्थल का निर्धारण करेगें अन्यथा नव निर्वाचित सभापति स्वयं निर्णय कर महासभा के तत्वाधान में महासभा का अधिवेशन आयोजित करेगें।

15 (1) कार्यकारिणी समिति महासभा अधिवेशन की व्यवस्था हते ु एक स्वागत समिति गठित करेगी। अधिवश्े ान की तारीख से दो माह पूर्व अधिवश्े ान स्थल एवं तारीख की घोषणा आवश्यक होगी।

15 (2) महासभा अधिवश्े ान का कार्यक्रमः— कार्यक्रम निम्नलिखित प्रकार से होगा—

1) गत अधिवश्े ान की कार्यवाही की स्वीकृति।

2) निवृत्तमान मंत्री द्वारा अपने कार्यकाल की कार्यवाही की रिपोर्ट।

3) आय व्यय के लेखो ं एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना एवं उसे स्वीकार करना।

4) पूर्व सभापति के वक्तव्य एवं उसके बाद नव निर्वाचित सभापति का अधिवेशन के सभापति के रूप मे ंपद ग्रहण करना, स्वागत एव ंवक्तव्य करना।

5) नव निर्वाचित सभापति द्वारा नव निर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, पदाधिकारियो ं के नामों की घोषणा करना, परिचय कराना एव ं निवर्तमान कार्यकारिणी का सम्मान।

6) अगले सत्र के कार्यक्रमो ं की रूपरखे ा पर नव निर्वाचित सभापति का अभिभाषण।

7) लेखा परीक्षक की नियुक्ति / पुष्टि। लेखा परीक्षक कम्पनीज एक्ट द्वारा परिभाषित चार्टर्ड एकाउण्टैण्ट हाने ा चाहिए जो यथासंभव चतुर्वेदी हो पर चतुर्वेदी हाने ा अनिवार्य नहीं है।

8) सदस्यों द्वारा कम से कम 2 सप्ताह पूर्व मंत्री के पास भेजे हुए और विषय निर्वाचन समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार एव ं उन पर निर्णय। विशेष दशा मे ं सभापति की अनुमति से एसे ` प्रस्तावां ` पर भी विचार हा ` सकेगा जो सभापति की दृष्टि में समाज के लिए लाभदायक हो ं अथवा जिन्ह ` कम से कम 25 सदस्यों ने लिखकर सभा मे ं उपस्थित करन ` की प्रार्थना की हो।

9) यथावश्यक नये उप नियम बनाना एव ं पूर्व नियमों एव ं उपनियमों मे ं आवश्यक संशाधे ान करना।

10) सामाजिक नियमों तथा रीतियों के सम्बन्ध में सुधार प्रस्तावों पर विचार एवं गुणानुसार उनकी स्वीकृति।

11) उद्देश्यानुकूल समाज की उन्नति के समुचित मार्ग निर्धारण करना और उन्ह ` कार्य रूप मे ं परिणत करन ` का नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को आदेश देना।

12) सभापति की आज्ञा से अन्य विशेष मुद्दो ं पर विचार एवं निर्णय।

15 (3) महासभा अधिवशे ान एवं विशेष अधिवेशन की कार्यवाही 100 सदस्यों के उपस्थित होने पर प्रारम्भ करेगी। कारे म के अभाव मे ं स्थगित हो जान ` के पश्चात आधा घण्टे के बाद पुनः उसी स्थान पर कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी जिसके लिए 40 सदस्यो ं की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

16. <u>महासम्मेलनः–</u> महासभा के अधिवेशन के साथ साथ समाज का एक महासम्मेलन भी होगा। जिसमे ं महासभा के सदस्यों के साथ साथ सभी जातीय बांधव भी भाग ले सकेगे ं। महासम्मेलन में महासभा के सभापति की आज्ञा से सभी बांधवों को समयानुसार सामाजिक प्रवाह पर बाले ने का अवसर मिल सकेगा। इन विचारों पर महासभा कार्यकारिणी समिति की बैठक मे ं विचारार्थ प्रस्ताव रखकर निर्णय प्राप्त करगे ी।

17. <u>विशेष अधिवशे ानः–</u> महासभा के सभापति का ` अधिकार होगा कि अत्यावश्यक होन ` पर तीन मास की सूचना दके र किसी स्थान पर महासभा का विशेष अधिवशे ान बुला सकते है। उसी प्रकार यदि महासभा के कम से कम पॉच सौ सदस्य महासभा का विशेष अधिवशे ान चाहे तो अपनी स्वलिखित इच्छा महासभाा के सभापति पर प्रकट करेगें, एसे ी स्थिति मे ं सभापति को विशेष अधिवशे ान करना आवश्यक होगा। विशेष अधिवशे ान मे ं उन्ही विषयो ं पर विचार होगा जिसके लिये विशेष अधिवशे ान बुलाया गया है। सभापति की आज्ञा से अन्य विषयो ं पर विचार हो सकेगा।

18. <u>महासभा के कोषः–</u>

महासभा के काेष दा ` प्रकार के होगे ं।

1. स्थायी कोष 2. अस्थायी कोष

18 <u>(1) स्थायी कोष :–</u> प्रत्येक विशेष सहायता देन ` वाले को किसी भी कोष मे ं धन एवं सहायता देने का अधिकार होगा। कार्यकारिणी दाताओ ं की इच्छा अनुसार महासभा के उद्देश्यों पर ही उस राशि का व्यय करेगी। जो धन जिस काेष के लिए दिया जायेगा, वह उसी कोष में जमा किया जायेगा लेकिन बिना किसी निर्देश के प्राप्त धन को सभापति की इच्छानुसार स्थायी या अस्थायी कोष मे ं पूर्ण या अनुपातिक रूप मे ं रखा जा सकेगा। कुल क्रमागत एवं आजीवन सदस्यो

ं का सदस्यता शुल्क स्थायी कोष में रखा जायेगा। स्थायी कोष में से व्यय करन` का अधिकार महासभा की कार्यकारिणी समिति को होगा।

18 (2) अस्थायी काेष :–वह आय एव ं प्राप्तियाँ जो कि उपरोक्त नियमानुसार स्थाई कोष का हिस्सा नही ं है एवं सब प्रकार की वह आय जो किराया, मुनाफा, विज्ञापन, व्याज इत्यादि जो स्थायी / अस्थायी एवं सम्पत्ति से अर्जित है, अस्थायी कोष माना जायेगा। इसके व्यय का पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी समिति को होगा। जो विभिन्न मदो ं से प्राप्त आय, विशेषकर व्याज के रूप मे ं प्राप्त आय का आनुपातिक वितरण विभिन्न खर्च खातों मे ं समय – समय पर करेगी।

महासभा के कोषों की सुरक्षा का दायित्व कार्यकारिणी पर रहगे ा। कार्यकारिणी स्थायी कोष को राष्ट्रीयकृत अथवा शडे ्ल्य बैंक मे ं या आयकर अधिनियम मे ं मान्य मदों मे ं विनियोजित करेगी। विनियोजित राशि में से धन निकालन`के लिए 1. सभापति 2. मंत्री 3. कोषाध्यक्ष मे ं से किन्ही दो के हस्ताक्षर आवश्यक होगे ां अस्थायी कोष को किसी भी बैंक के बचत खाते में रखा जा सकेगा। यह खाता भी इन्ही हस्ताक्षरों से संचालित होगा। दिन प्रतिदिन के खर्च के लिए कोषाध्यक्ष रू0 15000/– नगद रख सकेगें, लेकिन विशेष परिस्थिति में कार्यकारिणी के निर्देशानुसार यह सीमा बढाई जा सकेगी। महासभा के खातों को पूर्ण रखने की जवावदारी कोषाध्यक्ष की होगी। वह हर आर्थिक वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) के खाते तैयार कर निर्धारित समय सीमा मे ं मंत्री को सौपेगा। नियम 12–2(3) के अनुसार लेखा परीक्षित करा लेगें ताकि उन्ह` महासभा के मुखपत्र में प्रकाशित किया जा सके। 19. अन्य नियम :–

1) महासभा और उनकी अधीनस्थ सभाओं, अधिवशे ानों, महासम्मेलनो ं मे ं बहुमतानुसार कार्य होगा। किन्तु उभयपक्ष की संख्या समान हाने` पर सभापति का`एक अतिरिक्त मत दने` का अधिकार होगा।
2) महासभा के कागज पत्र, रजिस्टर आदि यथासंभव हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि मे ं रखे जायेगें, पत्र व्यवहार भी यथासंभव हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगें। गवर्नमेन्ट तथा चेक आदि से सम्बन्धित कागज पत्र अगं्रेजी या अन्य भाषा में आवश्यक्तानुसार हो सकेगं ा।
3) महासभा की सम्पत्ति का उपयोग और व्यय महासभा के उद्देश्यो ं की पूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य पर न हो सकेगा।
4) सभी प्रकार के नियमों एवं उप नियमों की स्वीकृति महासभा के अधिवशे ानो ं या विशेष अधिवेशनों मे ंहुआ करेगी। इस सम्बन्ध के प्रस्ताव कम से कम दो सप्ताह पूर्व मंत्री या सभापति के पास आ जाने चाहिए, किन्तु अधिवशे ानों में ही उपस्थित किये जाने वाले किसी प्रस्ताव पर भी, यदि सभापति उचित समझे तो विचार करन` की आज्ञा दे सकत` है।
5) किसी प्रकार की विवादस्पद स्थिति उत्पन्न हाने` पर, यदि न्यायिक राय की आवश्यक्ता हो तो वह केवल उसी स्थान के न्यायालय मे ं सम्भव होगी जहाँ महासभा का कार्यालय उस समय स्थित हागे ा।
6) महासभा के ऊपर प्रस्तुत वाद अथवा महासभा द्वारा प्रस्तुत वाद मंत्री महासभा द्वारा ही पोषित एव ं क्रियान्वित होगे ां
7) महासभा के मंत्री अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति सम्बन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय से यथा आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावेगे ां